



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-25102025-267121
CG-WB-E-25102025-267121

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4676]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947

No. 4676]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

(सड़क सुरक्षा परियोजना)

अधिसूचना

कोलकाता, 16 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4810(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, ("मालदा मंडल के भागलपुर-जमालपुर खंड पर अकबरनगर (AKN) और सुल्तानगंज (SGG) स्टेशनों के बीच किलोमीटर 319/6-7 पर लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या-5 के स्थान पर एक आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) का निर्माण।") परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु भागलपुर जिला में लोकप्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करता हूँ।

[फा. सं. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

मनोज खां, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
(Eastern Railway)
(ROAD SAFETY PROJECT)
NOTIFICATION

Kolkata, the 16th October, 2025

S.O. 4810(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Construction of ROB in lieu of **LC Gate No.-5 at Km. 319/6-7** between Akbarnagar(AKN)-Sultanganj(SGG) stations on BGP-JMP Section of Malda Division. As a Special Railway Project for acquisition of land in Bhagalpur district in the State of Bihar, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/CON

अधिसूचना

कोलकाता, 16 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4811(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, ("मालदा मंडल के भागलपुर-जमालपुर खंड पर हटपुरैनी हॉल्ट (HPLE) और टिकानी (TKLE) स्टेशनों के बीच किलोमीटर 15/5-6 पर लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या-10 के स्थान पर एक आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) का निर्माण।") परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु भागलपुर जिला में लोकप्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करता हूँ।

[फा. सं. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

मनोज खां, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण

NOTIFICATION

Kolkata, the 16th October, 2025

S.O. 4811(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Construction of ROB in lieu of **LC Gate No.-10 at Km. 15/5-6** between HATPURAINI HALT station(HPLE) & TIKANI(TKLE) Stations on BGP-of Malda Division. As a Special Railway Project for acquisition of land in Bhagalpur district in the State of Bihar, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/CON

अधिसूचना

कोलकाता, 16 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4812(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, ("मालदा मंडल के जमालपुर-किऊल खंड पर दशरथपुर (DRTP) और अमारी अदलपुर स्टेशनों के बीच किलोमीटर 365/1-2 पर लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या-18टी के स्थान पर एक आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) का निर्माण।") परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु मुंगेर जिला में लोकप्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करता हूँ।

[फा. सं. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

मनोज खां, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण

NOTIFICATION

Kolkata, the 16th October, 2025

S.O. 4812(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Construction of ROB in lieu of **LC Gate No.-18T at Km. 365/1-2** between Dashrathpur(DRTP)-Amari Adalpur Stations on JMP-KIUL Section of Malda Division. As a Special Railway Project for acquisition of land in Munger district in the State of Bihar, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. CAO/CON/RSP/LAND ACQU. /08]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/CON

अधिसूचना

कोलकाता, 16 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4813(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, ("मालदा मंडल के जमालपुर-किऊल खंड पर उरेन (UREN) और कजरा (KJH) स्टेशनों के बीच किलोमीटर 388/2-3 पर लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या-28 के स्थान पर एक आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) का निर्माण।") परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु लखीसराय जिला में लोकप्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करता हूँ।

[फा. सं. CAO/CON/RSP/LAND ACQU./08]

मनोज खां, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण

NOTIFICATION

Kolkata, the 16th October, 2025

S.O. 4813(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Construction of ROB in lieu of **LC Gate No.-28 at Km 388/2-3** between UREN(UREN) station & KAJRA(KJH) Stations on JMP-KIUL Section of Malda Division. As a Special Railway Project for acquisition of land in Lakhisarai district in the State of Bihar, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. CAO/CON/RSP/LAND ACQU. /08]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/CON